


10/01/2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत  
 कागद संचालन चोरकर पुस्तक इमी  
 वादी के वसील उपाय पेशकार सरकार  
 उपस्थित पत्रावली एवं एक वर उपलब्ध  
 दस्तावेज एवं जवाब देने का अवसर  
 फिदा गंगा प्रतिवारी स. उ. वर के द्वारा  
 इकावली जवाब देना वेग फिदा गंगा  
 वी वसील वादी द्वारा पुस्तक कागद  
 0.15 निष्प 1 कागद पुस्तक फिदा गंगा  
 जिस वर प्रतिवारी स. उ. वर के द्वारा  
 वे पेशकार सरकार द्वारा कोई दस्तावेज  
 नहीं कर स्वीकार किया है वर वाद  
 वारी डिडी फिदा जाता है वादी के  
 अशरी श. नं 292 रकम 1.08 हेक्टर  
 वरके शुद्ध सुधारियों वरहील इतिहास  
 का खतरेपर साइतकर घोषित 1 वर  
 जाता है व वहील वरहील के अशरी  
 किया जाता है कि अ. नं 292 रकम  
 1.08 हेक्टर वरके शुद्ध सुधारियों के वरी  
 के खतरेपर के वर कर वरहील राजस्व  
 विवर दुरुस्त करे

  
 उप खण्ड अधिकारी  
 चनियास, जिला टोक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनियारा जिला टांक

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) शरत केन रेड चेंबर  
पीठासीन अधिकारी... उपखण्ड न्यायाधीश जिला टांक


शरत केन पुत्र काल्या ज्योति कुम्हार नि  
जिला टांक इलाक़ा ग्राम बियोरी रायसिया  
वर्तमान निवासी कुम्हारिया  
शर्मा बाबत उपखण्ड न्यायाधीश जिला टांक  
सुकरमा नम्बर :- 32/2015  
निर्णय दिनांक :- 10-6-2015

वादी की और से श्री अजीत कुमार की व प्रतिवादी की और से पुरोहार सरकार  
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10/6/2015 को श्री सुभाष चन्द्र शर्मा  
(नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड न्यायाधीश के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश  
होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादी को अरजी नम्बर 292 रकबा 1.08 हेक्टर वाले ग्राम कुम्हारियां  
तहसील अनियारा का खातेदार काब्रदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार  
अनियारा को अवेरीट किया जाता है कि आ-ख-न-292 रकबा 1.08  
हेक्टर वाले ग्राम कुम्हारियां को वादी के खातेदारी में दर्ज कर  
तदनुसार राजस्व रकम दुरुस्त करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10-6-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर  
दी गई।

()  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्च

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4. _____ रुपये पर प्लीडर की फीस		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		
6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामील		
योग		योग